

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/35/2024

रजू दिनांक: 12.03.2024

रजि0 न0 2024/63

अपीलार्थी:-

श्री आदित्य पाराशर पुत्र नरोत्तमलाल,
निवासी वार्ड नं0 10, ग्राम-पोस्ट बुगला,
तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनु-333305
(राज0)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0
जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 09.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 26.03.2024 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/484 दिनांक 26.03.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 09.02.2024 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय द्वारा जरिये ऑनलाईन पत्र सं0 1591268749 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से किए गए विनिश्चय पर असंतोष व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में सूचना आवेदन दिनांक 09.02.2024 में वांछित आदेश/जानकारी विशिष्टीकृत, चिन्हित नहीं है, काल्पनिक, बहुआयामी, सृजनात्मक व खोजबीन कर उलब्ध कराई जाने वाली सूचना है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)बी, धारा 7(9) एवं धारा 8(1)(जे) के आलोक में देय नहीं है। पत्रांक 485 दिनांक 26.03.2024 के माध्यम से पुनः अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(आशीष/गुप्ता)
जिला कलेक्टर अलवर
(राज0)